फुलचंद बनाम गणपत मु. न. 37/23

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 20.9.24 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature]<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर<br>सत्यमेव जयते |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 37/2023

1 फूलचन्द पुत्र परसाराम (आवेदन पत्र में नाम फूलाराम) जाति जाट निवासी खटून्दरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राज.।

अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 2

बनाम

1 गणपतराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी खटून्दरा, तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
2 गोपी पुत्री बालू उर्फ बल्लू
3 बक्सालाल
4 फूली देवी पत्नी पूरणमल
5 चिटकी पत्नी फूसाराम
समस्त जाति जाट निवासी खटून्दरा, तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
6 लाडा देवी पुत्री परसाराम पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी माना की ढाणी तन ढाणी गुमान सिंह की, तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
7 तीजा देवी पुत्री परसाराम पत्नी मोहनलाल जाखड़ जाति जाट निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खण्डेला जिला सीकर राज.।
9 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खण्डेला जरिये मैनेजर
10 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
11 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5 ता 11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, मु.नं. 02/2022 बउनवानी गणपतराम बनाम गोपी आदि।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर
सत्यमेव जयते

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2022 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 65 वाके ग्राम चक खटून्दरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका को देखने से स्पष्ट है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजरव अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

दिनांक 09.11.2021 को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु एवं तहसीलदार खण्डेला से बिन्दूवार रिपोर्ट लेने हेतु दिनांक 22.01.2021 तय की थी। इसके बाद दिनांक 07.03.2022 को पत्रावली में शीघ्र सुनवाई हेतु पत्रावली पत्रावली को तलब कर तलबी हेतु दिनांक 24.03.2022 को नियत थी, उक्त तिथि दिनांक 24.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 4/अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुआ किन्तु अप्रार्थी संख्या 4 को बताया की न्यायालय में आज कोई काम नहीं होगा तथा आगामी तारीख हेतु पुनः नोटिस किये जायेगें अप्रार्थी संख्या 4 ने न्यायालय के कर्मचारियों की बात का विश्वास करके वापस आ गया तथा अप्रार्थीगण को आगे की सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये तथा आदेशिका को देखने से स्पष्ट है कि नियम तिथि दिनांक 24.03.2022 को कोई आदेशिका ही नहीं है तथा दिनांक 07.04.2022 को आदेशिका लिखी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी। जाकर आगामी पेशी 05.05.2022 अप्रार्थी संख्या 10 की तामील हेतु रखी गयी एवं दिनांक 07.04.2022 को रिपोर्ट तहसीलदार को अभिलेख पर लेने का अंकन किया गया। दिनांक 05.05.2022 को एकपक्षीय बहस सुनकर प्रार्थी का आवेदन एकपक्षीय स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने प्रक्रिया विधि अनुसार व सही तारीख पेशी के अनुसार चलाये गये बिना तथा अप्रार्थी/अपीलान्ट को सूचना दिये बिना आवेदन साजसी रूप से स्वीकार कर लिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रार्थी के आवेदन के अभिवचनों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा कथित रास्ता नजरी नक्शा में अंकन बिन्दू ए से बी तक खसरा नम्बर 67 से होकर खसरा नम्बर 65 तक मौजूद है। कानूनन जब रास्ता मौके पर मौजूद हो ता धारा 251 ए के तहत आवेदन मेन्टेनेबल नहीं है किन्तु विचारण न्यायालय ने अभिवचनों की सही रीडींग किये बिना प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार खण्डेला से रिपोर्ट मंगवायी। उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नम्बर 67 में से रास्ता की लम्बाई 110 मीटर है तथा खसरा नम्बर 61 में से रास्ता की लम्बाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

75 मीटर है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार विचारण न्यायालय को लघुत्तम दूरी का रास्ता खेत खसरा नम्बर 65 के लिये खसरा नम्बर 61 होकर स्वीकार करना चाहिये था तथा अधिकतम दूरी 110 मीटर का रास्ता खसरा नम्बर 67 में से होकर स्वीकार नहीं करना चाहिये था। किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट की अनदेखी करके अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 67 में से होकर अधिकतम दूरी का रास्ता स्वीकार करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक भूल क है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुविधाजनक सरल ओर सुगम रास्ता का प्रावधान नहीं किया गया है बल्कि अत्याधिक आवश्यकता के लिये लघुत्तम के रास्ता का प्रावधान किया है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति को रास्ता की मौन स्वीकृति मानकर अधिकतम दूरी का रास्ता स्वीकार करने में भारी भुल की है इसलिये निर्णय अपास्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार खण्डेला ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की कृषि जोत तक पहुंचने हेतु दो रास्ते दर्शाये है जिनमें एक रास्ता खसरा नम्बर 61 में से गुजरता है जिसकी लम्बाई 75 मी. है तथा एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 67 में से गुजरता है जिसकी लम्बाई 110 मीटर है। लेकिन प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी की भूमि तक सरल व सुगम रास्ता खसरा नम्बर 67 में से गुजरने वाला बताया है और अप्रार्थी की बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन को संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 24, आरआरटी 2016(2) पेज 1381, आरआरटी 2016(2) पेज 1149 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार खण्डेला ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की कृषि जोत तक पहुंचने हेतु दो रास्ते दर्शाये है जिनमें एक रास्ता खसरा नम्बर 61 में से गुजरता है जिसकी लम्बाई 75 मी. है तथा एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 67 में से गुजरता है जिसकी लम्बाई 110 मीटर है। लेकिन प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी की भूमि तक सरल व सुगम रास्ता खसरा नम्बर 67 में से गुजरने वाला बताया है और अप्रार्थी की बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन को संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर